बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन,लि0
खाद्य भवन, दरोगा प्रसाद राय पथ, आर, ब्लॉक रोड नं0–2 पटना 800001

पत्रांकः–2:15:21:1:2017 3530 पटना/दिनांकः– 26/3/19

प्रेषक,

पंकज कुमार भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में

सभी जिला प्रबन्धक,
राज्य खाद्य निगम, बिहार।

विषयः– **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत करने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः– **भारतीय खाद्य निगम पटना का पत्रांक s&s/अवधि विस्तार/2017–2018 दिनांक 04.03.2019, अवर सचिव, भारत सरकार का पत्रांक– F.No. 8-2/2018-BP.III दिनांक– 01.03.2019,उप सचिव, भारत सरकार का पत्रांक– No. 8-2/2018-BPIII Dated- 20-02-2019 एवं निगम का पत्रांक–2965 दिनांक–26.03.2018।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि महाप्रबंधक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का उठाव राज्य में अधिकांशतः विस्तारित अवधि के दौरान किये जाने पर भारतीय खाद्य निगम के आंचलिक कार्यालय एवं मुख्यालय द्वारा गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है। सचिव, खाद्य भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को इस संबंध में इंगित करते हुए सुझाव दिया गया था कि आवंटित खाद्यान्न का उठाव सामान्य अवधि में पूर्ण कर लिया जाए। इस संबंध में प्रथम चरण में महाप्रबंधक (क्षेत्र) के शक्तियों का प्रत्यायोजन के तहत् स्वीकृत प्रथम अवधि विस्तार के भीतर शत् प्रतिशत् उठाव पूर्ण करते हुए भविष्य में तीव्रता के साथ नियमित रूप से पूरे आवंटित खाद्यान्न का उठाव सामान्य वैधता अवधि में ही सम्पन्न कराई जाय। भारत सरकार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत परिपत्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अवधि विस्तार अप्रील, 2019 से एवं प्रथम अवधि विस्तार माह जून, 2019 से समाप्त कर दी गयी है। उक्त के आलोक में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा निर्धारित समयावधि में ही शत–प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव कराने का अनुरोध किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चयनित लाभुको को फूड कैलेण्डर के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसके लिये आवश्यक है कि जिला के आवंटन के अनुरूप आवश्यकतानुसार पर्याप्त परिवहन अभिकर्त्ता की नियुक्ति कर उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी एकरारनामित वाहनों (GPS/Load Shell युक्त) का प्रतिदिन शत् प्रतिशत् खाद्यान्न के उठाव में उपयोग किया जाए। राज्य खाद्य निगम के गोदामो पर प्रेषित किये गये खाद्यान्न से लदे वाहनो से खाद्यान्न को ससमय अनलोड

कराया जाय। साथ ही भारतीय खाद्य निगम के सम्बद्ध डीपो में जिले के आवंटन के अनुरूप खाद्यान्न की उपलब्धता पर दैनिक अनुश्रवण किया जाय। इसके अतिरिक्त जिला के कुल आवंटन के अनुरूप दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर एक कार्ययोजना के तहत् प्रत्येक कार्य दिवस पर नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव कराना सुनिश्चित करने पर ही निर्धारित सामान्य अवधि में खाद्यान्न का शत् प्रतिशत् उठाव संभव हो सकेगा। उक्त संदर्भ में प्रशासी विभाग के पत्रांक 4795 दिनांक 21.09.2017 के द्वारा जिलों में ससमय एवं शत् प्रतिशत् खाद्यान्न का उठाव नहीं होने, जिला स्तर पर नियुक्त परिवहन अभिकर्त्ता द्वारा परिवहन कार्य में शिथिलता बरते जाने पर नियमानुकूल कार्रवाई करते हुये उनके द्वारा समर्पित परिवहन विपत्र से राशि की कटौती एवं संबंधित परिवहन अभिकर्ता का एकरारनामा रद्द करने का निर्देश निर्गत प्रसंगाधीन पत्र द्वारा है। डोर स्टेप डिलेवरी योजना के अन्तर्गत परिवहन एवं हथालन अभिकर्त्ता (मुख्य) एवं परिवहन हथालन एवं आपूर्ति अभिकर्त्ता) (डोर स्टेप डिलेवरी) के एकरारनामा के संगत प्रावधान निम्न प्रकार हैं :-

(4e) In case of delay in lifting of essential food grains by causing strike or any other mode, the Second Party will be liable to be procceded in accordance with the provision of Essential Commodities Act and this agreement will be liable to be cancelled and five times of any loss caused to the Corporation shall be recovered from his secub rity money or/and Bank guarantee, or/and from his pledged improvable properties and second party will be black listed for next five years.

(6d) In case of non-lifting of food grains in stipulated time period, the First Party shall recover the cost of lapsed quantity of food grain from the Second Party at prevailing Economic rate as penalty.

16/17. Transporting Agent shall provide working online GPS device & Load Shell on each Vechile before agreement for accourate measurement of required capacity. In case GPS device & Load shell got damaged while in operation the same shall be replaced by Transporting Agent immediately and under no circumstances the Vehicle shall be used without working online GPS device & Shell for transportation of food grains and if vehicle is used without working online GPS device and load shell, no transporting charges will be paid as well as penalty will also be imposed.

(16.3/17.3) During transportation of food grains by GPS device & Load shell installed vehicle not found in network while monitoring, it will be presumed as pilferage of food grains and penalty on economic rate will be imposed on Transport-cum-Hundling Agent. On repetition of the same, appointment of the Transporter shall be terminated.

(16.4) All the 35 (Thirty five) small vehicles like-pick up Van/407/mini truck/tracktor provided by the transport, handling-cum-delivery Agent will be painted whole body in yellow color and will be written " राज्य खाद्य निगम के अन्तर्गत अनुबंधित" भारतीय खाद्य निगम से निगम के प्रखंड गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन–(संबधित जिला का नाम)" in deep blue in a yellow back ground with strip having 2'/8" high in front, the space on the top of the cabin as well as on the side panels of the vehicle. Except that of chassis the entire body of the truck must be painted with yellow color. However, the H & T contractor shall have no claim on detention of vehicle both at dispatching and receiving point for any reason. But number of tractor can not be more than 50% of total number of vehicle deployed.

(17.4) All the 50 (Fifty) trucks provided by the Transport, Handling-Cum-Delivery Agent will be pointed whole body in yellow color and will be written "राज्य खाद्य निगम के अन्तर्गत अनुबंधित" भारतीय खाद्य निगम से निगम के प्रखंड गोदाम तक खाद्यान्न का परिवहन–(संबधित जिला का नाम)" in deep blue in a yellow back ground with a strip having 2'/8" high in front, the space on the top of the cabin as well as on the side panels of the vehicle. Except that of chassis the entire body of the truck must be painted with yellow color. However, the H & T contractor shall have no claim on detention of vehicle both at dispatching and receiving point for any reason.

(16.5/17.5) In order to meet any eventuality the Handling cum-Transporting Contractor shall keep in a stand by mode at least five vehicles with GPS and load shell duly installed, and colored with yellow texture along with description written thereon like other vehicles.

Further more During Transportations if more vehicles are requred Transporter will have been provided vehicles as per need.

मार्च–2019 के दैनिक जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त वाहनों की उपलब्धता एवं इनके उपयोग के अवलोकन से यह परिलक्षियत हुआ है कि कई जिलों में परिवहन अभिकर्त्ताओं के द्वारा एकरारनामा के अनुसार मुख्य परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता द्वारा 50+5= 55 एवं डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता द्वारा 35+5= 40 जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त वाहन उपलब्ध नहीं रहता है एवं दैनिक उपयोग में भी इससे भी कम संख्या में परिवहन हेतु वाहन उपयोग में लाया जाता है यथा मुख्य अभिकर्त्ताओं द्वारा मार्च महीने में मात्र 2950 वाहन जी0पी0एस0 एवं लोडशेल युक्त उपलब्ध रहें हैं, जिसमें मात्र 1101 वाहनों का ही उपयोग परिवहन के लिये किया गया है, वहीं डोर स्टेप डिलेवरी में 3313 वाहन लोडशेल एवं जी0पी0एस0 युक्त उपलब्ध करया गया है एवं इसके विरूद्ध 2817 वाहन उपयोग में लाये गयें हैं। अतः समय पर

खाद्यान्न उठाव नहीं होने का कारण यह भी है कि वांछित संख्या में वाहन उपलब्ध एवं उपयोग नहीं होना है। भारत सरकार के उपरोक्त पत्र के आलोक में खाद्यान्न व्ययगत होने की जवाबदेही संबंधित परिवहन अभिकर्त्ताओं के साथ-साथ जिला प्रबंधक की भी होगी।

अतः निदेश दिया जाता है कि परिवहन अभिकर्त्ताओं से समन्वय स्थापित कर भारत सरकार के निदेश के आलोक में एकरारनामा के उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई करने के साथ-साथ प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में प्रावधानों का अनुपालन कराते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित की जाय।
अनु0- यथोक्त।

विश्वासभाजन

26/3/2019
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 3530 पटना/दिनांकः- 26/3/19
प्रतिलिपिः- मुख्य महाप्रबंधक (जन वितरण)/मुख्य महाप्रबंधक (अधिप्राप्ति)/सभी महाप्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक/सभी प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/2019
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 3530 पटना/दिनांकः- 26/3/19
प्रतिलिपिः- सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटपना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/3/2019
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 3530 पटना/दिनांकः- 26/3/19
प्रतिलिपिः- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अनुलग्नक के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/3/2019
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांकः- 3530 पटना/दिनांकः- 26/3/19
प्रतिलिपिः- कार्यकारी निदेशक, भारतीय खाद्य निगम, 10A, मिडिलटन रॉल, कोलकत्ता को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि रैक आगमन पर खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु महाप्रबंधक (क्षेत्र), पटना को निदेशित करने की कृपा की जाय।

26/3/2019
प्रबंध निदेशक।

ईमेल/E-mail: gmbi.fci@gov.in
दूरभाष/Phone: 0612-2218727
फैक्स/Fax: 0612-2218225

भारतीय खाद्य निगम | FOOD CORPORATION OF INDIA | क्षेत्रीय कार्यालय पटना Regional Office Patna

अरुणाचल भवन, तीसरा एवं चौथा तल, एग्जीबिशन रोड, पटना - 800 001.
Arunachal Bhawan, 3rd & 4th Floor, Exhibition Road, Patna - 800 001.

390

सन्दर्भ संख्या- एसएंडएस/अवधि विस्तार/2017-18 संशोधित दिनांक: 01.03.2019

ई-मेल

सेवा में,

क्षेत्र प्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
जिला कार्यालय, पटना, गया, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा
हाजीपुर, मुज़फ्फरपुर,रोहतास, जमुई मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर|

विषय- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह मार्च , 2019 हेतु निर्गत विमुक्ति आदेशों में अवशेष खाद्यानों का उठाव हेतु अवधि विस्तार के सम्बन्ध में|

सन्दर्भ- बिहार राज्य खाद्य निगम, पत्र संख्या 2569 दिनांक 01.03.2019 (प्रति संलगन) |

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लें|

बिहार राज्य खाद्य निगम, मुख्यालय, पटना द्वारा अपने पत्र संख्या 2569 दिनांक 01.03.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह मार्च, 2019 हेतु व्ययगत खाद्यान का अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है|

404 7/3/19

बिहार राज्य खाद्य निगम, द्वारा माह जनवरी हेतु खाद्यान का ससमय उठाव ना हो पाने एवं व्ययगत हो जाने का कारण इस प्रकार है - माह फरवरी 2019 के आवंटन के विरुद्ध विस्तारित अवधि में खाद्यान की अवशेष मात्रा का उठाव कराये जाने एवं निगम स्तर पर अन्य संक्रियात्मक कारण आदि |

इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह मार्च, 2019 हेतु व्ययगत खाद्यान (पी०एच०एच० एवं अंत्योदय) का उठाव अवधि का विस्तार दिनांक 15.03.2019 तक किया गया है| **आपसे अनुरोध है कि इसी अवधि विस्तार मे शत प्रतिशत उठाव हेतु स्थानीय जिला प्रबंधक, बीएसएफ़सी से लगातार संपर्क में रहे एवं पूर्ण सहयोग करे ताकि पुनः आंचलिक कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम से अवधि विस्तार की आवश्यकता ना पड़े | विदित है कि मंत्रालय के निर्देशानुसार माह अप्रैल 2019 से द्वितीय अवधि विस्तार एवं माह जून 2019 से प्रथम अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायेगी |**

अतः आपसे अनुरोध है कि बीएसएफसी द्वारा प्रेषित राजस्व जिला वार व्ययगत खाद्यान की पुष्टि करते हुए, विस्तारित अवधि के दौरान स्टॉक निर्गत करें जिसके लिए बीएसएफसी द्वारा निर्धारित समय सीमा में वित्तीय व्यवस्था की गई है|

संलग्न- उपरोक्तानुसार|

भवदीय
4/3/19
सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्य)
कृते महाप्रबंधक (क्षेत्र)

प्रतिलिपि-

1. कार्यकारी निदेशक, भा० खा० नि०, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित|
2. महाप्रबन्धक (बिक्री), भा० खा० नि०, मुख्यालय, नई दिल्ली, को सूचनार्थ प्रेषित|
3. प्रबंध निदेशक, बीएसएफ़सी, खाद्य भवन, पटना ...उपरोक्त सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित|
4. सहायक महाप्रबन्धक (परिचालन), भा०खा०नि०, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित|

कृते महाप्रबंधक (क्षेत्र)
4/3/19

F.No.8-2/2018-BP.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi.
Dated: 1st March, 2019

To

The Chairman-cum-Managing Director,
Food Corporation of India,
16-20, Barakhamba Lane,
New Delhi

Subject: Ensuring timely lifting of foodgrain allocated under National Food Security Act(NFSA)

Sir,

I am directed to refer this Department letters of even no. dated 20.2.2019 and this Department's email dated 25.02.2019 on the above mentioned subject. As discussed with FCI, it is clarified that the policy decision of no grant of 2nd extension of 15 days from April 2019 onwards and further no grant of 1st extension of 15 days from June 2019 onwards for deposit of cost and lifting of foodgrains allocated under NSFA, will be uniformly applicable to all States/UTs and not in particular to any State/UT.

2. FCI is further requested to ensure availability of sufficient foodgrain in its godowns so that the entitled quantity of foodgrain could be allocated to the States/UTs during the normal validity period itself.

This issues with the approval of competent authority.

Yours faithfully,

Encl: As above.

(Asit Halder)
Under Secretary to the Govt. of India

Copy for necessary action to:

1. Executive Director (Sales/Proc), FCI, New Delhi.
2. The General Manager, (Sales), FCI, New Delhi..

Scanned by CamScanner

250357/2019/SO(BP-III)

(388)

No.8-2/2018-BP.III
Government of India
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Department of Food & Public Distribution

Krishi Bhawan, New Delhi - 110 001
Dated - 20-Feb-2019

To

The Pr. Secretaries / Secretaries
Department of Food & Civil Supplies
Governments of – Bihar, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Rajasthan and Tripura

Subject: **Ensuring timely lifting of foodgrain allocated under National Food Security Act, 2013 - regarding**

Respected Sir / Madam

As you are aware, Department of Food & Public Distribution has been periodically reviewing and analyzing the lifting pattern of foodgrain so allocated under National Food Security Act, 2013. As envisaged under clause 7(9) of the TPDS Control Order 2015, it is imperative on the part of the States/UTs to ensure that the foodgrain of a particular allocation month is lifted by the last day of the month preceding the allocation month, so that the same could be distributed among the eligible beneficiaries during the allocation month itself; failing which the State Government is liable to pay Food Security Allowance in terms of the Food Security Allowance Rules 2015. This Department has been writing to States/UTs in this regard from time to time, for the past one year, with the request to bring efficiency in the lifting pattern

2. However, while reviewing the State-wise lifting pattern of foodgrains for the 4th quarter of 2018-19, it has been observed that the State Governments of **Bihar, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Rajasthan and Tripura** are still lifting a substantial quantity of foodgrain during the 2nd extension period of 15 days' as granted by FCI, as may be seen from the following tables:

Rice

Sl.No	State	Lifting %age				Lapsed Quantity %
		During normal validity period	During 1st 15 days' extension	**During 2nd 15 days' extension**	Total Lifting	
1.	BIHAR	51	28	**15**	94	6
2.	J&K	35	47	**18**	100	0
3.	JHARKHAND	37	45	**08**	90	10
4.	TRIPURA	60	25	**15**	100	0

Scanned by CamScanner

Wheat

Sl.No.	State	Lifting %age				Lapsed Quantity
		During normal validity period	During 1st 15 days' extension	During 2nd 15 days' extension	Total Lifting	
1.	BIHAR	48	30	16	94	6
2.	J&K	75	23	3	101	-1
3.	JHARKHAND	27	40	20	87	13
4.	RAJASTHAN	22	42	34	98	2
5.	TRIPURA	16	17	68	101	-1

3. In view of the above, I am directed to say that State Governments of Bihar, Jammu & Kashmir, Jharkhand, Rajasthan and Tripura are advised that any request for 2nd extension would not be entertained for allocation from April, 2019 onwards. As such these States while improving the percentage for timely lifting may ensure that all the lifting is completed in time.

4. Food Corporation of India is hereby requested that from April 2019 onwards, no extension of deposit of cost and lifting of foodgrain is granted if the States/UTs are not able to deposit the cost and lift the entire allocated quantity of foodgrain by the 1st extension of 15 days' period.

5. **This issues with the approval of Secretary, DFPD.**

Yours faithfully,

(K.M.S. KHALSA)
Deputy Secretary to Government of India
Tel: 011-2338 3046
Email: dsbp.fpd@nic.in

Copy to

1. Chairman-cum-Managing Director
   Food Corporation of India, New Delhi.
2. Pr. Secretaries / Secretaries
   Department of Food & Civil Supplies
   All States / UTs (except those in the addressee list)

Copy for information to:

i) Secretary (DFPD)
ii) Joint Secretary (BP&PD) / Joint Secretary (FCI & Policy) / Economic Adviser (NFSA)

Scanned by CamScanner